

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक/व.नि.स./ NGT / 2023 10438
प्रति,

गुना दिनांक/ 19/12/2023

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
Central Zone Banch Bhopal.

विषय:- माननीय एन.जी.टी. (सी.जेड) भोपाल के प्रकरण क. ओ.ए. 163/2023 शेख निजामुद्दीन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन वावत्।

---000---

निवेदन है कि माननीय एन.जी.टी. (सी.जेड) भोपाल के प्रकरण क. ओ.ए. 163/2023 में आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गठित कमेटी (1) जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि नायब तहसीलदार तहसील मक्सूदनगढ़ जिला गुना (2) वनमण्डलाधिकारी गुना द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज एवं (3) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर जिला गुना द्वारा स्थल का संयुक्त सीमांकन/सर्वेक्षण दिनांक 15.12.2023 को किया गया। गठित दल द्वारा प्रकरण में उल्लेखित वनभूमि स्थल की संयुक्त जांच की गई। संयुक्त जांच का प्रतिवेदन तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर जिला गुना द्वारा उनके पत्र क./1412/क्षे.का./म.प्र.प्र.नि.बो./एन.जी.टी./2023 दिनांक 15.12.2023 से डायरेक्टर पर्यावरण (विधि) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। संयुक्त जांच की जांच रिपोर्ट पत्र के संलग्न आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक/व.नि.स./ NGT / 2023 10439
प्रतिलिपि:-

गुना दिनांक/ 19/12/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर जिला गुना की ओर सूचनार्थ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098



क्रमांक 1412

/क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/एन.जी.टी/2023

गुना, दिनांक 15.12.2023

प्रति,

डायरेक्टर पर्यावरण (विधि)

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सीजेड) भोपाल के प्र.क्र. ओ.ए. 163/2023 (शेख निजामुद्दीन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सीजेड) भोपाल के प्र.क्र. ओ.ए. 163/2023 (शेख निजामुद्दीन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन में दिनांक 15.12.2023 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं म. प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जांच की गई है जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अधिवक्ता के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- (1) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गुना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- (2) वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), जिला-गुना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- (3) श्रीमती पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर बोर्ड का आदेश क्र. 3305 दिनांक 09.11.2023 के संबंध में संयुक्त जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**Joint Committee's Reports in the matter of O.A. No. 163/ 2023 Sheikh Nizamudding Vs
State of MP & Ors.**



W.r.t.
Hon'ble National Green Tribunal, (Central Bench) Bhopal
Order dated 07.11.2023
Date of Visit 14th December, 2023

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(CENTRAL ZONAL BENCH) BHOPAL
Original Application No. 163 of 2023 (CZ)**

In the matter of:-

Seikh Nizamuddin

Applicant (s)

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

INDEX

स.क्र	विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
1.	शिकायतकर्ता शेख निजामुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट दौराना, तहसील-राघौगढ़ जिला-गुना द्वारा म.प्र. के जिला गुना की राघौगढ़ के ग्राम-दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में पूरे पेड़ काटकर मकान बनाने एवं खेती करने बावत् मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल में की गई शिकायत की प्रति।	01	14-15
2.	मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक 163/203 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 की प्रति।	02	16-17
3.	निरीक्षण दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं उनके साथ उपस्थित सहयोगी स्टाफ का उपस्थिति पत्रक ।	03	18
4.	ग्राम-दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अवैध पेड़ कटाई पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	04	19-24
5.	ग्राम-दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	05	25-38

6.	ग्राम-दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने वाले शेष अतिक्रमणकर्ताओं की पहचान उपरांत तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट।	06	39-40
7.	अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	07	41-47
8.	वन भूमि में अवैध रूप से कुंये खोदने के संबंध में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	08	48-50
9.	फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी वन अधिकार पत्रों की सूची	09	51
10.	फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची	10	52-57
11.	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी वन खण्ड राघौगढ़ उत्तर के कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में जारी राजस्व पट्टों की सूची एवं उनके परीक्षण एवं तदोपरांत निरस्तगी की कार्यवाही हेतु कलेक्टर गुना को लेख किये गये पत्र	11	58-61
12.	ग्राम-दौराना के भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार द्वारा ग्राम-आंनदपुर (मोईया) में ग्राम-दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में पेड़ काटने एवं झुग्गी झोपड़िया बनाने के संबंध में की गई कार्यवाही	12	62-67
13	शिकायतकर्ता श्री शेख निजामुद्दीन के दिनांक 15.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत एवं जाँच के बिन्दुओं के संबंध में जाँच समिति से चर्चा उपरांत प्रस्तुत लिखित पत्र।	13	68
14	निरीक्षण दौरान लिये गये छायाचित्र।	14	69-72

प्रस्तावना-

शेख निजामुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट दौराना, तहसील-राघौगढ़ जिला-गुना द्वारा म.प्र. के जिला गुना की राघौगढ़ के ग्राम-दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में पूरे पेड़ काटकर मकान बनाने एवं खेती करने बावत् शिकायत मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्द्रल जोनल बैंच रिसिप्ट नं. 783 दिनांक 13.10.2023 को प्रेषित की गई थी, जिसमें मुख्यतः वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण करने, पेड़ों की कटाई, मकान बनाने, खेती करने संबंधी निम्न बिन्दुओं को लेकर शिकायत की गई थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्राम-दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 सारे पेड़ काटकर खेती की जमीन बना दी गई है। प्रधानमंत्री आवास के मकान मेगा बंजारा पुत्र दीपक बंजारा ने मकान बना लिया है। विजय सिंह बंजारा ने कुंआ खोद लिया गया है।
2. इस रेंज की जमीन में कई बंजारे एवं भीलों ने अतिक्रमण करके खेती कर रहे हैं और मकान बना लिये हैं।
3. ग्राम-दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम-आनंदपुर (मोईया) में ग्राम-दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये।
4. इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। डिप्टी रेंजर सुरेन्द्र वशिष्ठ, राघौगढ़ के रेंजर के.सी.अहीर को कई बार फोन कर बता दिया गया है कि जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राघौगढ़ के फारेस्ट के कम्पार्ट नं. पी 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिक्रमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिक्रमण की रसीदे, जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं से पूर्ण हर्जाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि फारेस्ट के अधिकारी/कर्मचारी पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। यह जमीन एन. एफ.एल से 03 कि.मी.की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन में पूरे सागौन के पेड़ थे।

शिकायत की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्द्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा उक्त शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2023 को की गई है, जिसमें निम्न अधिकारियों की संयुक्त जाँच समिति गठित की गई है :-

1. जिला कलेक्टर गुना का एक प्रतिनिधि।
2. वनमंडलाधिकारी गुना का प्रतिनिधि।
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि।

जाँच कमेटी को निर्देशित किया गया है कि तथ्यों की जाँच एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट 06 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं लाजिस्टिक सपोर्ट हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश दिनांक 07.11.2023 परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

दिनांक 14.12.2023 को संयुक्त जाँच दल जिसमें जिला कलेक्टर की ओर से उनकी प्रतिनिधि (1) रेणू कासलीवाल नायब तहसीलदार तहसील-मक्सूदनगढ़, जिला-गुना, वनमंडलाधिकारी जिला-गुना की ओर उनके प्रतिनिधि (2) श्री के.सी.अहीर रेंज ऑफिसर, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर क्षेत्रीय अधिकारी (3) श्री डी.वी.एस.जाटव द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं उनके साथ उपस्थित सहयोगी स्टाफ का उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 :-

वन कक्ष क्र. पी 678 का कुल क्षेत्रफल 398.55 हेक्टेयर है। जमीन पथरीली एवं मुरमी एवं ढलानी है तथा क्षेत्र का औसत छत्र घनत्व बिरल (0.4 से कम) है ।

निरीक्षण आख़र्षेशन-

1. शिकायत के बिन्दु :- ग्राम-दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 मे सारे पेड़ काटकर खेती की जमीन बना दी गई है। प्रधानमंत्री आवास के मकान मेघा बंजारा पुत्र दीपक बंजारा ने मकान बना लिया है। विजय सिंह बंजारा ने कुंआ खोद लिया गया है।

निरीक्षण तथ्य :-

वन कक्ष पी-678 में दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2023 की अवधि में 64 पेड़ काटे गये है। उक्त वनकक्ष में वृक्षविहीन रिक्त क्षेत्र में रकवा लगभग 26.487 हेक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती करना पाया गया। निर्माणाधीन 01 प्रधानमंत्री आवास मेघा उर्फ मेघराज पुत्र दीपा बंजारा द्वारा निर्माण किया जाना पाया गया है। वनभूमि में अवैध रूप से 02 कुंए खोदे हुये पाये गये।

वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :-

64 पेड़ काटे जाने के विरुद्ध वन विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

क्र.	काटे गये पेड़ों की संख्या	जारी वन अपराध प्रकरण	रेंज केस नम्बर	आरोपी का नाम/पता	प्रकरण की स्थिति
01	02	03	04	05	06
01	25	34/17 17.02.2021	10/2021	01.कैलाश भील पुत्र लालजी भील निवासी गोविन्द्रपुरा मक्सूदनगढ़ 02.बाबूलाल पुत्र बुद्धा सहरिया निवासी नांनदेर राघौगढ़	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका प्रकरण क्रमांक RCT 75/2022 है।
02	06	34/21 28.12.2021	73/2021	अज्ञात	प्रकरण अभिसंधानित किया जा चुका है।

03	09	34/27 24.05.2023	28/2023	अज्ञात	प्रकरण अभिसंधान की कार्यवाही प्रचलित है।
04	12	34/29 24.09.2023	51/2023	भामा पुत्र जिया बंजारा एवं अन्य 04 साथी निवासी दौराना	प्रकरण विवेचना में है।
05	12	34/32 23.11.2023	57/2023	अज्ञात	प्रकरण विवेचना में है।

जानकारी परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती करने के विरुद्ध वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :-

13 लोगों के विरुद्ध वन भूमि में अवैध रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने के अपराध में वन अपराध प्रकरणों की कायमी की गई है विवरण निम्नानुसार है:-

प्र. स.	अतिक्रमण का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिक्रमण स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमण भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पी.ओ.आर.		धारा 80 'अ' के तहत जारी नोटिस	
						क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इन्दर सिंह	मांगीलाल	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4797/04	18.11.2012	4700	02.02.2013
2	फूलसिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.800	4795/20	17.11.2012	4682	02.02.2013
3	विजय सिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4795/22	17.11.2012	4686	02.02.2013
						34/31	03.11.2023	2004	30.11.2023
4	लाल सिंह	सरदार सिंह	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	0.500	4797/03	18.11.2012	4698	02.02.2013
5	राम प्रसाद	गुलाब सिंह	भील	करोदा पठार	0.500	121/11	30.10.2012	4614	01.02.2013
6	हजारी	श्रतीराम	बंजारा	करोदा पठार	0.250	4797/09	19.11.2012	4710	02.02.2013
7	करण सिंह	पीरू	बंजारा	करोदा पठार	0.400	4797/08	19.11.2012	4708	02.02.2013
8	मेघराज	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.007	34/30	29.09.2023	1992	31.10.2023
9	पप्पू	मांगीलाल	बंजारा	घोडा पछड पठार	2.000	34/29	24.09.2023	1994	09.11.2023
	भामा	जिया	बंजारा					1996	09.11.2023
	मेघराज	जिया	बंजारा					1998	09.11.2023
	कजोड	धर्मा	बंजारा					2000	09.11.2023
	छेवीसिंह	मांगीलाल	बंजारा					2002	09.11.2023
					7.457				

जानकारी परिशिष्ट-05 पर संलग्न है।

शेष अतिक्रमणकर्ताओं की पहचान कर ली गई है तथा उनके द्वारा अतिक्रमित भूमि का भी सर्वे कर लिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिक्रमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टे में
1	देवीसिंह	सरदार	बंजारा	बड़ा गड़ड़ा दौराना	2.000
2	घासी	प्रथी	बंजारा	बड़ा गड़ड़ा दौराना	2.000
3	अर्जुन	अमर सिंह	बंजारा	बड़ा गड़ड़ा दौराना	1.200
4	विनोद	छजारी	बंजारा	बड़ा गड़ड़ा दौराना	0.450
5	धूरलाल	धर्मा	बंजारा	करोदा पठार	0.500
6	फूल सिंह	करण सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जगदीश	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.150
	चैनसिंह	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
7	नारायण	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.270
	विजयसिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.090
	कमल सिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	राजू	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	रमेश	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.040
8	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	करोदा पठार	0.300
9	चन्द्र प्रकाश	दुर्गालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.200
10	घनश्याम	हीरालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.140
	हीरालाल	धन्नालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.120
11	नंदलाल	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जितेन्द्र	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
	रमेश	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
12	घासी	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	तोफान	घासी	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	नाथू	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.370
13	ग्यारसी	लक्ष्मण	भील	करोदा पठार	0.780
	मोहर सिंह	रामलाल	भील	करोदा पठार	0.500
14	इरशाउद्दीन	सलीमुद्दीन	मुस्लिम	खैर वाली पठार	1.200
15	मांगीलाल	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
	दुर्गा	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	मनीराम	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	चैनसिंह	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	लक्ष्मण	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
	राजू	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	

16	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.160
	मुकेश	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	0.420
17	बापू	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.110
	रमेश	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.220
18	मांगीलाल	मानसिंह	बंजारा	खैर वाली पठार	0.550
	कालू	भाना	बंजारा	खैर वाली पठार	0.250
	उदम	पीरू	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
19	नन्नु	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	1.200
	गुड्डू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.800
	बलराम	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.150
	मेघराज	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.170
	धूरैलाल	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.180
20	मांगीलाल		भील	करण सिंह की पठार	0.850
21	फूल सिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.370
	चैनसिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.320
	रमेश	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.350
22	रामबाबू	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.100
	महेश	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.050
	रामसिंह	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.170
23	चैनसिंह	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.080
	नैनकराम	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.070
	केशर	रामसिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.400
	गजराज	केशर	भील	करण सिंह की पठार	0.070
योग :-					19.030

सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट-06 पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण के विरुद्ध वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :-

अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34/30 दिनांक 25.09.2023 पंजीबद्ध कर निर्माण कार्य रूकवाया गया एवं संबंधित अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध धारा 80अ नोटिस जारी किया गया है। वन परिक्षेत्र कार्यालय राघौगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1340 दिनांक 29.09.2023 एवं पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 10.10.2023 से उक्त आवास उक्त जगह से निरस्त कर स्थल परिवर्तन करने एवं वर्तमान जगह पर निर्माणाधीन आवास की आगामी किस्ते रोकने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़ को लेख किया गया। आगामी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

जानकारी परिशिष्ट -07 पर संलग्न है।

वन भूमि में अवैध रूप से कुंये खोदने के संबंध में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही -

जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा वनभूमि में अतिक्रमण कर कुंआ खोदने का अपराध किये गये है, उनके विरुद्ध निम्नानुसार वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध धारा 80 ए नोटिस जारी किये गये है एवं आगामी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

स. क	अतिक्रमक का नाम	पिता का नाम	जति	अतिक्रमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टे.में	पी.ओ.आर.क्रमांक		धारा 80 'अ' के नोटिस का	
						क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इन्दर सिंह	मांगीलाल	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4797/04	18.11.2012	4700	02.02.13
2	विजय सिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4795/22	17.11.2012	4686	02.02.13
						34/31	03.11.2023	2004	30.11.23

जानकारी परिशिष्ट-08 पर संलग्न है।

2. इस रेंज की जमीन में कई बंजारे एवं भीलों ने अतिक्रमण करके खेती कर रहे है और मकान बना लिये है।

निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्य -

वन भूमि पर बंजारे एवं भीलों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके खेती करना पाया गया, जिनका विवरण तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट परिशिष्ट-05 एवं 06 में दिया गया है। 08 लोगों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पत्र दिये गये है जिन पर उनके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। जिनकी जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वनाधिकारधारी का नाम	जति	वनाधिकार कोड क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
01	बलराम/रतनलाल	भील	170601483001	0.226
02	जगन्नाथ/रामसिंह	भील	149921900005	0.429
03	कैलाश/प्रभुलाल	सहरिया	149921900008	0.075
04	मदनलाल/रामसिंह	भील	149921900037	0.1138
05	मोहनसिंह/भवरलाल	भील	149922000001	0.5083
06	चम्पालाल/मोहनलाल	भील	149922000002	0.8981
07	रामबाबू/नाथूसिंह	भील	149922000003	0.4173
08	भरोसा/मोहरसिंह	भील	149922000008	0.876
योग :-				3.5435

जानकारी परिशिष्ट-09 पर संलग्न है।

इनके अतिरिक्त उक्त कम्पार्टमेंट में मौजा ग्राम-आनंदपुर (मोड़या) में निम्नानुसार निजी भूमि जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि है, भी शामिल है, जिनके भू-स्वामी मौके पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	भू-स्वामी	खसरा कमांक	वनखण्ड में शामिल रकबा हेक्टेयर
01	इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम	02	0.241
02	इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम	03	0.209
03	प्रभूलाल पुत्र देवबक्स	21	1.046
04	विजय सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रेमनारायण, गायत्री बाई, कान्ता बाई पुत्रिया प्रेमनारायण	22	1.108
05	विजय सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रेमनारायण	23	0.418
06	दुर्गालाल पुत्र भबुतिराम, ओम प्रकाश, रतन सिंह, शिवराज सिंह पुत्रगण दुर्गालाल (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम के नाम से दर्ज है।)	26	1.244
07	द्रोपदी पत्नि रामसिंह (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में राजकुमारी पत्नि वीरेन्द्र गौड के नाम से दर्ज है।)	30	0.565
08	प्रेम बाई/अमरचंद	19/1/2	1.254
09	बाबूलाल/मूलचंद	19/2	1.787
10	हुकुमचंद/किशनलाल	19/3	3.136
11	कल्लीबाई/उकारं	19/4/1	1.045
12	काशीबाई/बुद्दा	19/4/2	1.045
13	शंकरलाल/अमरलाल	19/4/3	1.045
14	द्रोपदी पत्नि रामसिंह (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में राजकुमारी पत्नि वीरेन्द्र गौड के नाम से दर्ज है।)	32	0.261
योग :-			14.404

जानकारी परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

राजस्व विभाग द्वारा उक्त कम्पार्टमेंट में निम्नानुसार पट्टे भारतीय वन अधिनियम की धारा 04 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी दिये गये हैं, जिनके संबंध में उक्त पट्टे परीक्षण कर निरस्त किये जाने हेतु कलेक्टर गुना को लेख किया गया है। पट्टेदारों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पट्टेदार	खसरा बटान कमांक	रकबा हेक्टेयर
01	महिला करीमनबाई/बेबा अजमेरी खां	24/2	02.0910
02	प्रीति/पप्पू तथा अन्य 03	24/3/1	0.8360
03	गब्बर सिंह/इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/3/2	1.2540
04	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/4	2.0900
05	हुकुमचंद / किशनलाल	24/5	2.0910

06	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/1	2.0900
07	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/2	1.0450
08	मांगीलाल/जीवनलाल	24/7	2.0910
09	कलाबाई/नारायणसिंह	24/8/2	0.8360
10	शंकर/माधो	24/9	2.0900
11	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/11	2.0910
12	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/12	3.1350
13	मनीष लोधा/श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/15	2.0910
14	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/17	2.0900
15	झुमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरेलाल	24/18/1	1.0450
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/18/2	3.1360
17	मानसिंह,दयालसिंह,घमण्डी,कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल, चिरोजीबाई वेवा	24/20	2.0900
18	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार/माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन/कैलाश सुमन, कुलदीप/कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद/हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल/सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ/कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह/मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल/भूरैलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई/पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां /अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महिला करीमनबाई /पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेवा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
29	ऊंकारीबाई/मोतीलाल	20/2	3.136
30	द्रोपतीबाई/रामसिंह	27/1	4.516
वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर के कक्ष क्रमांक पी-678 में जारी राजस्व पट्टे का कुल क्षेत्रफल-			57.402

कलेक्टर गुना को पट्टों के परीक्षण एवं तदानुसार निरस्त करने हेतु लिखे गये पत्र परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

3. ग्राम-दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम-आंनदपुर (मोईया) में ग्राम-दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये।

निरीक्षण दौरान पाये गये तथ्य तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट-

यह भूमि वृक्षविहीन थी तथा उक्त भूमि पर ग्राम-दौराना के मनीष लोधा एवं उसके परिवारजन का मौजा ग्राम आंनदपुर मोईया में राजस्व विभाग द्वारा जारी पट्टा खसरा क्रमांक 24/15 रकबा-2.091 हेक्टेयर पाया गया है। श्री मनीष लोधा एवं उनके परिवारजन द्वारा ग्राम-दौराना के भामा पुत्र जीया बंजारा, मेघराज पुत्र जीया, पप्पू पुत्र मांगीलाल, कजोड़ पुत्र धर्मा एवं देवीसिंह पुत्र मांगीलाल बंजारा को संबंधित पट्टवारी राजस्व दल से सीमांकन कराकर बिक्री कर दिया जाकर कब्जा सौंप दिया जाना पाया गया है। उक्त पट्टे का भी परीक्षण करने एवं तदोपरांत निरस्तगी हेतु कलेक्टर महोदय, जिला गुना को लेख किया गया है। उक्त भूमि पर 12 नग पेड़ काटने तथा अतिक्रमण कर झुग्गी-झोपड़ियाँ बनाने के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34/29 दिनांक 24.09.2023 पंजीबद्ध कर धारा 80 ए के तहत नोटिस जारी किये गये हैं।

जानकारी परिशिष्ट-12 पर संलग्न है।

4. इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। डिप्टी रेंजर सुरेन्द्र वशिष्ठ, राघौगढ़ के रेंजर के.सी.अहीर को कई बार फोन कर बता दिया गया है कि जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राघौगढ़ के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिक्रमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिक्रमण की रसीदे, जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं से पूर्ण हर्जाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि फारेस्ट के अधिकारी/कर्मचारी पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। यह जमीन एन. एफ.एल से 03 कि.मी.की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन में पूरे सागौन के पेड़ थे।

निरीक्षण दौरान पाये गये तथ्य तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट-

कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में वन भूमि पर पाये गये अतिक्रमण एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण उपरोक्त कंडिका 01 में दिया गया है। वन विभाग के रेंजर एवं डिप्टी रेंजर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी कंडिका 01-03 तक में दी गई है। वन भूमि पर दिये गये राजस्व पट्टों का परीक्षण कराकर निरस्त करने के संबंध में जानकारी कंडिका 3 में दी गई है। मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमि. से उक्त उल्लेखित जमीन वृक्षविहीन होकर लगभग 08 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

अन्य जानकारी -

शिकायतकर्ता श्री शेख निजामुद्दीन दिनांक 14.12.2023 को किन्ही कारणों से जॉच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे, इस कारण से दिनांक 15.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये। उनसे शिकायत एवं जॉच के बिन्दुओं के संबंध में चर्चा की गई। उनके द्वारा जॉच पर संतुष्टि व्यक्त की गई, जो परिशिष्ट-13 पर संलग्न है।

निष्कर्ष:-

अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु, पुनः अतिक्रमण होने से रोकने हेतु वन विभाग द्वारा वन अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही एवं निगरानी की जाती रहती है।


15/12/2023

(के.सी.अहीर)

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र राघौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)



(रिणू कासलीवाल)

नायब तहसीलदार

तहसील-मकसूदनगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)




(डी.के.एस.जाटव)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर,

जिला-गुना (म.प्र.)


15/12/2023

S.D. K. Kishore
आर.ए.डी.ओ.डामोड

NGT, C2B, BHC/PAL
 Receipt No. - 873
 Date: - 13-10-2023

3
 Subj: *Subj: ~~Forest~~
 relating to cutting
 of trees of the forest*
 My 12-10-23

भारतीय जनता पार्टी मण्डल राधौगढ जिला गुना (म0प्र0)

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
 मण्डल उपाध्यक्ष
 भाजपा

निवास- ग्राम व पोस्ट दौराना
 तह0 राधौगढ जिला गुना (म0प्र0)
 मो0 8770577454

प्रति,

दिनांक ~~18/09/2023~~

3-10-23

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
 भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- म0प्र0 के जिला गुना के राधौगढ के ग्राम दौराना मे FOREST के COMPARTMENT NO. 678 मे पूरे पेड़ काट कर मकान बनाने एवं खेती करने बावत्।

सेवा मे,

विनम्र निवेदन है कि ग्राम दौराना के FOREST के COMPARTMENT NO. 678 सारे पेड़ काट कर खेती की जमीन बना दी गई है और इसी जमीन मे प्रधानमंत्री आवास के मकान मेगा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा ने मकान बना लिया है और विजय सिंह बंजारा ने कुआं खोद लिया है। इस रेंज की जमीन मे कई बंजारे एवं भीलों ने अतिक्रमण करके खेती कर रहे है और मकान बना लिये है। ग्राम दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेंघराज बंजारा पुत्र जिया एवं इनके परिवार ने ग्राम अनंदपुर (मोड़िया) मे ग्राम दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेन्ट करके उस जमीन मे सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये। इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। परन्तु डिप्टी रेन्जर सुरेन्द्र वशिष्ठ मो0 7974150498, राधौगढ के रेंजर के0सी0 अहीर मो0 9424794713 को कई बार फोन पर बता दिया गया कि रेंज की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परन्तु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः माननीय से निवेदन है कि राधौगढ के FOREST के COMPARTMENT NO. 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिक्रमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिक्रमण की रसीदें जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं से पूर्ण हजाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि FOREST के अधिकारी/कर्मचारी अमले पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करे। *यह जमीन National Highway से 3KM की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन के पूरे सागोंन के पेड़ काटें। N.F.L., G.M.A.L इस जमीन के पास ही है।*

प्रार्थी

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
 मण्डल उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

01. महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
02. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
03. केन्द्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिधिया जी भारत सरकार नई दिल्ली।
04. राष्ट्रीय एन जी टी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
05. माननीय मुख्य मंत्री महोदय राज्य सरकार म०प्र० शासन भोपाल।
06. माननीय वन मंत्री महोदय राज्य सरकार म०प्र० शासन भोपाल।
- ✓ 07. राज्य एन०जी०टी विभाग राज्य सरकार म०प्र० शासन भोपाल। *Nizam*
08. माननीय ग्रामीण पंचायत मंत्री महोदय राज्य सरकार म०प्र० शासन भोपाल।
09. माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला गुना म०प्र० शासन।
10. श्रीमान सी०एफ महोदय जिला गुना म०प्र०
11. श्री के.सी अहीर साहब रेंजर महोदय राधौगढ जिला गुना म०प्र०

Nizam
प्रार्थी

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष
भाजपा ..

Item No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.163/2023(CZ)

Sheikh Nizamuddin Applicant(s)

Vs.

State Of Madhya Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: **07.11.2023**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): None

For Respondent(s): None

ORDER

1. Issue raised in this application is violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and encroachment on the forest land in compartment no. 678 of forest of Radhogarh Teshil and District Guna (M.P.). It is alleged that some persons have by way of encroaching the land converted it for personal use in violation of environmental rules.
2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant/Registry is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
 - (i) One Representative of District Collector, Guna (M.P.)
 - (ii) One Representative of DFO(Forest) District Guna, (M.P.)
 - (iii) One Representative of State Pollution Control Board, (M.P.)

6. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **19th January, 2024.**



Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A Senthil Vel, EM

7th November, 2023
O.A. No. 163/2023 (CZ)
K

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 163/2023 शेख निजामउद्दीन विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य में गठित जाँच समिति द्वारा जाँच दौरान का उपस्थिति प्रतिवेदन।

निरीक्षण दिनांक- 14.12.2023

क्रमांक.	अधिकारियों का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
1.	श्री. जयलाल, जायल तल्लीलकार सकलरदनगढ़ गुना	राजस्व विभाग	8305959277	 14/12/2023
2.	कै.सी. उद्दीय वन परिदृश आकर्मरी राजस्व	वन विभाग	9424794713	 14/12/2023
3.	डी.व्ही.एस. जाउन क्षेत्रीय अधिकारी	म.प्र. प्रशिक्षण निंत्रण बोर्ड विजयपुर तह. राजगढ़ जिला गुना	9827332693	
4.	Dushu' एस.पी. वरिष्ठ	वाणीक शाग	9425467092	एस.पी. वरिष्ठ Dushu' म.प्र. वरिष्ठ
5.	Munesh Rao वनरक्षक	वन विभाग	9770269493	
6.	राजेश थाकड़ का.पी. वनपाल	वन विभाग	9630237566	
7.	आर.श. नरेश धर. 185 च-प्रभासिह	पुलिस विभाग	9589609992	
8.	Shaykh NIZAMUDDIN	पुलिस विभाग विभागाध्यक्ष	939361872 9770577434	

④

**Civil Court Raghogarh
Case Details**

Case Type	: RCT - REGULAR CRIMINAL TRIAL		
Filing Number	: 231/2022	Filing Date:	21-03-2022
Registration Number	: 75/2022	Registration Date:	21-03-2022
CNR Number	: MP0805-000266-2022		

Case Status

First Hearing Date	: 12th July 2022
Next Hearing Date	: 08th January 2024
Case Stage	: Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
Court Number and Judge	: 2-I Civil Judge Class-II

Petitioner and Advocate

1) Forest Department Raghogarh Advocate- ADPO
--

Respondent and Advocate

1) Kailash Bheel Advocate - Ram Dinesh Meena
2) Babulal Sehriya

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
Indian Penal Code 1860	33(1)A
Vanya Prani Sanrakchan Adhiniyam 972	2(16)C,9,51(1)

FIR Details

Police Station	: RAGHOGARH
FIR Number	: 34
Year	: 2017

Case History

Registration Number	Judge	Business on Date	Hearing Date	Purpose of Hearing
75/2022	Civil Judge Class-I		28-10-2022	Argument before Charge / Charge
75/2022	Civil Judge Class-I		16-02-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		05-06-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		20-09-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		08-01-2024	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter

Case Transfer Details within Establishment


Registration Number	Transfer Date	From Court Number and Judge	To Court Number and Judge
75/2022	31-10-2023	1 - Civil Judge Class-I	2 - I Civil Judge Class-II

M 08/12/2023
 राज. प्र. वि. नं. 08/12/2023
 जज (सु. 1)

2021-18
2A2

IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)



मोहक्मा जंगल, मध्य प्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/17 तारीख 17/02/2021 सन् 20 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत श्रीम. 65 वर्ष नि. गोविन्दपुर, सुकसुमगढ़

3. किस्म जुर्म 90 वंठ अर्ध 1921 की धारा 33(1) तथा 9, 5(1) अधि. 1972 की धारा 2(1)(c)

4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ वीट पगारा कक्ष नं. P678 रुठवरिया

5. तारीख बकुआ जुर्म 17/02/2021 सा. 15 सतरखा 10 66 योग 25 66/अनाडु

6. तफसील जस शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। लकड़ी 1/2 चर 1/2 घण्ट घासको 02 नग कुल्हाडी

7. नाम गवाहान नवलकिशोर सेनी वीट अर्धेरी मदनमाल वाली नि. पगारा

दूसरा भाग रेंज. असिस्टेन्ट साहब रुठवियाई सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राधोगाह रेंज को भेजा गया

मुकाम पगारा (BR) दस्तरखत फॉरेस्ट गार्ड

तारीख 17/02/2021 नाका B.L. Patil पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिव पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

माल नीचे
के जस
20 ई.
में लेकर
जंगल
2 नग
602
20 ई.
दरदार का

IX-(a)
For.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
दूसरा
तीसरा
मुकाम
तारीख

Page 73
2024

IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)



मोहम्म जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/21 तारीख 28/12/2021 माह सन 20 ई.
 2. मुजरिम का नाम, ज्ञाति और सकूनत अज्ञात
 3. किस्म जुर्म आठवें आर्टिकल 1927 की धारा 3(1) कीट-चोंकिंग
 4. जगह जहां जुर्म वाकें हुआ वीट पंगारा के क्षेत्र P678
 5. तारीख बकुआ जुर्म 28/12/2021
 6. सागौन 06 ई. वल्ली 06 नग 0.065 द.भी. तफसील जम सुदा माल और कार्यवाही जो अब्बल में लाई गई।
-10990/- 1450/-
 7. नाम गवाहान (1) मदनबाबुवास्ती नि. पंगारा
(2) रामबाबु यादव नि. पंगारा
- दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब अठिबारी सर्किल को भेजा गया
तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राधोगाह रेंज को भेजा गया
मुकाम पंगारा दस्ताखत फारेस्ट गार्ड B.L. Patel
तारीख 28/12/2021 नाका पंगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानों चाहिए।

IX-(a)-2
For. Hindi

34

1. नम्बर
 2. मुजरिम
 3. किस्म
 4. जगह
 5. तारीख
 6. तफ
 7. नाम
- दूसरा भाग
तीसरा भाग
मुकाम
तारीख

नोट :

Page 28
2023



IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)

34 मोहक्का जंगल, मध्य प्रदेश

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट 27

1. नम्बर रिपोर्ट 34/27 तारीख 24/05/2023 माह सन् 20 ई.
2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत अज्ञात
3. किस्म जुर्म भाग 1 अधिनियम 1927 की धारा 33(C) के कटई (वीर चैकिंग)
4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ वीरपगारा कस्बा P678 गुवरिया
5. तारीख बकुआ जुर्म ताजा दि 24-5-2023 सागवान 03 ट 6 सतकरवा-06 ट 6 1500 मूल्य
6. तफसील जस शूदा माल और कार्यवाही, जो अमेल में लाई गई। जमात 01-पेटा, 2310 मूल्य
7. नाम गवाहान मदनलाल वास्त्रीनिपगारा
 (1) रामबाबू यादव निपगारा
 दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब RA सिकिल को भेजा गया
 तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राधागिर रेंज को भेजा गया
 मुकाम पगारा दस्तखत फारेस्ट गार्ड B.L. Patel
 तारीख 24/05/2023 नाका पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होनै के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जामी चाहिए।


श
88
बकुआ
रिपोर्ट
धारा 16
ने तफसील माल नीचे
सन् 1927 ई. के जस
27 सन् 20
को अपने तावे में लेकर
कोई आफिसर जंगल
अंगूठा सुपुर्वदार क
नियम
नियम

IX
Fo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)



मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

29

IX-(a)-
For. Hi

34

1. नम्बर रिपोर्ट 34/29 : तारीख 24. माह 09 सन् 2023.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत भाभा बीरजिया
वेजारा एवं अन्य 04 काशी

3. किसम जुर्म मिशाली दोराज
शा. नं. क्र. 1927 की धारा
33(1)क एवं 31(1)अ

4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ पी. पजारा रुकत
P-678

5. तारीख बकुआ जुर्म 24/09/2023
सत. हठ 07 से 420

6. तफसील जस शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई।
साग. हठ 05
01 चट्टा जलक 2.000 हेम्ट. क्षत्र में

7. नाम गवाहान :
1) श्री कमलेश्वर सिंह
2) मदन मोहन ठाकुर

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब रुडिण्ड सिकिल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब शंभुगढ रेंज को भेजा गया

मुकाम पी. पजारा
दस्ताखत करिस्ट मुंडे
म. 21/10/23

तारीख 24/09/2023 नाका पजारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

वीट चेकिंग 12
 डोबरा भेरा बीनाजोल

IX-(a)-2
 For. Hindi

(भाग पहिला)

Real, 57/2023

मोहकमा जंगल, मध्यप्रदेश



34

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/32 तारीख 23. माह 11 सन् 2023 ई. 1.
2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत डोबरा 2.
3. किस जुर्म शा. 9. अ. 1927 की धारा 33(1) के तहत (वीट चेकिंग) 3.00 बीनाजोल 3.
4. जगह जहां जुर्म वाकें हुआ वीट पंजागा रुम 4.
5. तारीख बकुआ जुर्म 23/11/2023 5.
6. तफसील जस शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। 13 भाग ई 8 शुल्क 1610/- 08 अगुजाग वल्मी 6.
7. नाम गवाहानु: 1. राजीव पी लाल पुत्र 23/11/2023 7.
2. रामदास रामलाल पुत्र 23/11/2023
- दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब R.A. कौठिया सिकिल को भेजा गया 8.
- तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब श्यामराज रेंज को भेजा गया 9.
- मुकाम पंजागा दस्ताखत फारेस्ट गाई 10.
- तारीख 23/11/23 नाका पंजागा 11.

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 2004

गुना, दिनांक 28.11.2023

नोटिस

श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुधी निवासी ग्राम दोरागा तहसील राधोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दिनांक 03/11/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 1.0000 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322 / X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 30.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2005

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक दि से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दि 03/11/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुधी बेजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागांज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली आदेश के अंतर्गत राधोगढ़ तहसील में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही

- 80 -
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....विजय सिंह.....पुत्र श्री.....पुत्री.....
जाति.....व.पार.....निवासी ग्राम.....वडा 31351.....तहसील.....राधागिरी.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधागिरी.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दिनांक 17-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड 31351 के प्रकोष्ठ क्रमांक P-678 में 10000 हे.वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा 644 किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

st

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 22/12

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4687

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधागिरी.....की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि. 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दि. 17-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....विजय सिंह.....पुत्र श्री.....पुत्री.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस -दो प्रति में)

- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/वीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

st

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....*करवीर सिंह*.....पुत्र श्री.....*पीरू*.....
जाति.....*ब.पाल*.....निवासी ग्राम.....*करवीरपाला*.....तहसील.....*राधोगांव*.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....*राधोगांव*.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक *4737/08* दिनांक *19-11-12* द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड *3005* के प्रकोष्ठ क्रमांक *8-678* में *0.400* हे. वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा *795* किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त संपत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से बसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

[Signature]
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ *2-2-13*

पृ.क्रमांक/मा.चि./ *4709*

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....*राधोगांव*.....की ओर उसके पत्र क्रमांक *2003* दि. *14/12/12* से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक *4737/08* दि. *19-11-12* के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....*करवीर सिंह*.....पुत्र श्री.....*पीरू*.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस - दो प्रति में)
- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/वीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

*गो/2 स मेरे द्वारा प्रस्तुत
शुभ रात्रि
वन मंडल
की 4/11/12
दि 2012*

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....हमारी.....पुत्र श्री.....राम.....
जाति.....व.पारस.....निवासी ग्राम.....करोडीवाला.....तहसील.....राधोग.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधोग.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....1722/09.....दिनांक.....19-11-12.....द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड.....राधोग.....के प्रकोष्ठ क्रमांक.....P-678.....में 0.2.52.....हे.वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा.....698.....किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राम
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 22-13

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4714

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधोग.....की ओर उसके पत्र क्रमांक.....2805.....दि.....11/12.....से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....1722/09.....दि.....19-11-12.....के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....हमारी.....पुत्र श्री.....राम.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस -दो प्रति में)

- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

नोटिस
राम
472814
वीर पारास

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....*लाल सिंह*.....पुत्र श्री.....*सरदार सिंह*.....
जाति.....*बनारस*.....निवासी ग्राम.....*751 213 51*.....तहसील.....*राधापिप*.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....*राधापिप*.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक *4797/03* दिनांक *18-11-14* द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड *3.5.15* के प्रकोष्ठ क्रमांक *P-678* में *0.500* हे. वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा *694* किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा. व. अ. 1927 (म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राधापिप
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ *20-2-13*

पृ. क्रमांक/मा.चि./ *4699*

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....*राधापिप*.....की ओर उसके पत्र क्रमांक *2003* दि. *14/12/14* से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक *4797/03* दि. *18-11-14* के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....*लाल सिंह*.....पुत्र श्री.....*सरदार सिंह*.....को बितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस-दो प्रति में)
- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मौलिक और लाल शंकर
शंकर शंकर
शंकर शंकर

राधापिप
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....बुद्धरिह.....पुत्र श्री.....गंगीलाल.....
जाति.....बुद्धरिह.....निवासी ग्राम.....95/2/3.....तहसील.....राधागंज.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधागंज.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....4797/04.....दिनांक.....18-11-12.....द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड.....राधागंज.....के प्रकोष्ठ क्रमांक.....P-678.....में 1.000.....हे.वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा...694...किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 2-2-13

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4701

- प्रतिलिपि
- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधागंज.....की ओर उसके पत्र क्रमांक.....8603.....दि.....17/12/12.....से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....4797/04.....दि.....18-11-12.....के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....बुद्धरिह.....पुत्र श्री.....गंगीलाल.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस—दो प्रति में)
 - (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

नोटिस
श्री बुद्धरिह
बुद्धरिह
बुद्धरिह
बुद्धरिह

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....र.वि.प.रा.प......पुत्र श्री.....सुदीप सिंह.....
जाति.....ब्राह्मण.....निवासी ग्राम.....करीमपुरा.....तहसील.....र.वि.प.रा.प......जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....र.वि.प.रा.प......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 121/11.....दिनांक 30-10-12.....द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड 2.15/11 के प्रकोष्ठ क्रमांक P.578.....में 0.500.....हे.वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा 7 वर्ग.....किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

84
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 1.2.13

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4615

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....र.वि.प.रा.प......की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दिनांक 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 125/11.....दि. 30-10-12.....के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....र.वि.प.रा.प......पुत्र श्री.....सुदीप सिंह.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस -दो प्रति में)
- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गोपिक मरु द्वारा प्रस्तावित

सुदीप सिंह
वीए 43112

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 1992

गुना , दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री

मेघराज डी. दीपा बेजारा मिवासी तैराना तहसील राधोगढ़
जिला गुना

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/30 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड राधोगढ़ उत्तर के प्रकोष्ठ क्रमांक P.678 में

750 वर्ग फुट हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक 31.10.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि./1993

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक 1431 दि 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/30 दि 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज डी. दीपा बेजारा मिवासी तैराना तहसील राधोगढ़ जिला गुना

को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस में आवश्यक कार्यवाही

मेरे शान्ति की गरी

अदेश राधोगढ़
वी.प्रकाश

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 1994

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री पद्म निवासी ग्राम... पुत्र श्री मंगीलाल जाति वेणु...
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगढ तहसील राधोगढ जिला गुना (म.प्र.)

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोगढ के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322 / X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

- Del -
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.कमांक / मा.चि. / 1995

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगढ की ओर उनके पत्र कमांक... दि... से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री पद्म वेणु पुत्र श्री मंगीलाल वेणु को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनामंज को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली केरिम् प्रमाण के अंगुष्ठ के प्रति मेरे द्वारा की गयी

वेणु

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना

नोटिस... 20/11/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 1998

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री श्यामा पुत्र श्री जिया जाति बेजारा
निवासी ग्राम दौलगा तहसील राधौगा जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधौगा

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधौगा के प्रकोष्ठ क्रमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



Sh
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना
गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1998

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधौगा की ओर उनके पत्र क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री श्यामा बेजारा पुत्र श्री जिया बेजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनाराज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस के कार्यालय अतिरिक्त प्रति द्वारा की गयी

मेरे वन मण्डल
राधौगा

नोटिस की प्रति
श्री
20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 1998

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री मेधराज पुत्र श्री जिजा जाति बंजाट
निवासी ग्राम देराना तहसील राखीगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राखीगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राखीगढ़ के प्रकोष्ठ कमांक P678 में 0.450 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राखीगढ़
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.कमांक / मा.चि. / 1999

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राखीगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक 34/29 दि. 24.9.23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेधराज बंजाट पुत्र श्री जिजा बंजाट को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस प्रस्ताव के माध्यम से करे
शरा की शर्त
अरुण शर्मा
वीर पंजारा

नोटिस 02 प्रति
जापकी
20/11/23

राखीगढ़
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 2000

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री कजोड़ पुत्र श्री बसन्त बंसाल जाति बंसाल
निवासी ग्राम देरना तहसील राधोडा जिला गुना (म.प्र.)


द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोडा

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोडा के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322 / X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोडा की ओर उनके पत्र क्रमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री कजोड़ बंसाल पुत्र श्री बसन्त बंसाल को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस प्रस्ताव के आपत्कृत शक्ति के हेतु
आपकी ओर

मोहन अक्षय
20/11/23

मोहन अक्षय
20/11/23

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 2002

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री देवी सिंह पुत्र श्री मांगीकाव जाति बंगाल
निवासी ग्राम होराना तहसील रायचौक जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी रायचौक

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड 32/1/1/1/1 के प्रकोष्ठ कमांक P578 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

पु.कमांक / मा.चि. / 2003

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी रायचौक की ओर उनके पत्र कमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री देवी सिंह बंगाल पुत्र श्री मांगीकाव बंगाल को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनापांज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस प्रस्ताव में आग्रह प्रतिक्रिया की गयी

महेश शर्मा 9/11/23
नीलमण्डा

38

नोरन 02/11/23
नोरन 02/11/23
नोरन 02/11/23

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना


वनकक्ष क्रमांक पी-678 में शेष अतिक्रमणकर्ताओं की सर्वे रिपोर्ट जिसमें वनअपराध पंजीबद्ध करने एवं धारा 80अ के तहत नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है।

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिक्रमण स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमण भूमि का क्षेत्रफल हे. में
1	देवीसिंह	सरदार	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
2	घासी	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
3	अर्जुन	अमर सिंह	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.200
4	विनोद	हजारी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	0.450
5	धूरेलाल	धर्मा	बंजारा	करोदा पठार	0.500
6	फूल सिंह	करण सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जगदीश	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.150
	चैनसिंह	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
7	नारायण	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.270
	विजयसिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.090
	कमल सिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	राजू	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	रमेश	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.040
8	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	करोदा पठार	0.300
9	चन्द्र प्रकाश	दुर्गालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.200
10	घनश्याम	हीरालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.140
	हीरालाल	धन्नालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.120
11	नंदलाल	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जितेन्द्र	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
	रमेश	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
12	घासी	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	तोफान	घासी	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	नाथू	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.370
13	ग्यारसी	लक्ष्मण	भील	करोदा पठार	0.780
	मोहर सिंह	रामलाल	भील	करोदा पठार	0.500
14	इरशाउद्दीन	सलीमुद्दीन	मुस्लिम	खैर वाली पठार	1.200
15	मांगीलाल	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
	दुर्गा	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	मनीराम	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	चैनसिंह	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	लक्ष्मण	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
	राजू	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
16	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.160
	मुकेश	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	0.420

17	बापू	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.110
	रमेश	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.220
18	मांगीलाल	मानसिंह	बंजारा	खैर वाली पठार	0.550
	कालू	भाना	बंजारा	खैर वाली पठार	0.250
	उदम	पीरू	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
19	नन्नु	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	1.200
	गुड्डू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.800
	बलराम	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.150
	मेघराज	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.170
	धूरेलाल	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.180
20	मांगीलाल		भील	करण सिंह की पठार	0.850
21	फूल सिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.370
	चैनसिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.320
	रमेश	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.350
22	रामबाबू	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.100
	महेश	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.050
	रामसिंह	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.170
23	चैनसिंह	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.080
	नैनकराम	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.070
	केशर	रामसिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.400
	गजराज	केशर	भील	करण सिंह की पठार	0.070
योग :-					19.030


महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा


सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई


के.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
बीनागंज

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 1992

गुना, दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री

श्री. मेघराज डी. दीपा बेजारा गिवाली तैरागा तमोल बाघोरा
जिला गुना

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी बाघोरा

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड बाघोरा उत्तर के प्रकोष्ठ कमांक P.678 में 10.10.23 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक 31.10.2023

पृ.कमांक / मा.चि. / 1993

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी बाघोरा की ओर उनके पत्र कमांक 1431 दि 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दि 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री. मेघराज डी. दीपा बेजारा गिवाली तैरागा तमोल बाघोरा जिला गुना

को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस में कार्यवाही करनी

मेरे द्वारा श्री अरुण

अरुण शर्मा

नोटिस जारी

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक / 1340
प्रति,

दिनांक / 29.09.2023

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत राघौगढ़

विषय :- बीट पगारा अन्तर्गत वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर वनकक्ष क्रमांक पी-678 में ग्राम दौराना में हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा के ग्रामीण को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास की निरस्तगी/ स्थल परिवर्तन बावत्।

- संदर्भ :- 01. बीटगार्ड पगारा श्री महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक का आवेदन दिनांक 28.09.2023
02. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 960 दिनांक 20.07.2022
03. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 22.07.2022

विषयांकित में संदर्भित आवेदन में बीटगार्ड पगारा द्वारा अवगत कराया गया है कि बीट पगारा के वनकक्ष क्रमांक पी-678 में ग्राम दौराना में हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा निवासी दौराना या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ है जिसके तहत हितग्राही द्वारा उक्त आवास राजस्व क्षेत्र अथवा उसकी निजी भूमि में न बनाकर वनभूमि कक्ष क्रमांक पी-678 में बनाया जा रहा है। आवास निर्माण का भौगोलिक अंक्षांश देशांतर N- 24° 28' 51.36", E- 77° 11' 37.67" है। अतिक्रमणकारी हितग्राही हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा के आवास की प्रथम किस्त जनपद पंचायत राघौगढ़ स्तर से जारी किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। संबंधित सचिव/सहायक सचिव को वनक्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में आवास की जगह का बीटगार्ड से सत्यापन कराने का अग्रिम निर्देश दिये जाने के बावजूद भी सचिव/सहायक सचिव ने सत्यापन बीटगार्ड से नहीं कराया है। और जनपद पंचायत स्तर से प्रधानमंत्री आवास की किस्त भी जारी कर दी गई है। इस तरह बन रहे प्रधानमंत्री आवास की रोकना बीटगार्ड स्तर पर कठिन है तथा वेदखली की कार्यवाही में कानून व्यवस्थ विगडने की स्थिति भी निर्मित होती है। बीटगार्ड पगारा द्वारा उक्त अवैध आवास के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34/30 दिनांक 25.09.2023 कायम किया गया है। तथा उक्त अवैध आवास के संबंध में ग्राम दौराना के एक व्यक्ति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को शिकायत की गई है, जो इस कार्यालय में पृष्ठांकन के रूप में दिनांक 26.09.2023 को

0/0

M

P.T.O.

46

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई, तथा उक्त शिकायत माननीय एनजीटी मे भी पृष्ठांकित कर सूचित किया गया है।

इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 960 दिनांक 20.07.2022 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 22.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लेख किया गया था कि वनक्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में वनभूमि में अवैध रूप से काबिज अतिक्रमणकारी हितग्राहीयों को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की Geo-tagging वनभूमि में नहीं करने तथा स्वीकृत आवास की प्रथम किश्त जारी करने से पूर्व संबंधित बीटगार्ड से आवास भूमि स्थल का सत्यापन करवाया जाये। लेकिन फिर भी इस दिशा में जनपद स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी विगत वर्ष अक्टूबर 2022 में विकासखण्ड बमोरी अंतर्गत ग्राम सिमरोद मे ऐसे ही अतिक्रमणकारी हितग्राही द्वारा वनभूमि में अवैध रूप से बनाये गये शासकीय योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास की वेदखली के दौरान कानून व्यवस्था विगडने की स्थिति निर्मित हुई थी।

अतः लेख है कि उक्त स्थल पर निर्मित किये जाने वाले आवास को उक्त जगह से निरस्त कर स्थल परिवर्तन करने एवं विषयांकित वर्तमान जगह पर बने आवास की आगामी किश्तों की राशि रोकने की कार्यवाही एवं जारी किश्त राशि की वसूली करने का कष्ट करे, तथा भविष्य में आवास की किश्त जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव/सहायक सचिव/सरपंच से संयुक्त रूप से वहा के वनविभाग के संबंधित बीटगार्ड/परिक्षेत्र सहायक द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेने का कष्ट करे। ऐसी पुनरावृत्ति होने पर तथा ऐसे निर्मित आवास की वेदखली की स्थिति में कानून व्यवस्था विगडने पर पंचायत विभाग के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी जवाबदेह होंगे। तथा ऐसे संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1)ग तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। तथा यदि यह प्रकरण एनजीटी मे दर्ज होता है तो इसके दूरगामी परिणामों हेतु संबंधित पंचायत के कर्मचारी/अधिकारी जवाबदेह होंगे।

संलग्न :- बीटगार्ड पगारा का आवेदन दिनांक 28.09.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

पृष्ठा. क्रमांक/1341
प्रतिलिपि :-

दिनांक / 29.09.2023

01. श्रीमान कलेक्टर महोदय, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
02. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय, वनमण्डल गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
03. श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, राजस्व राघौगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
04. श्रीमान उपवनमण्डल अधिकारी महोदय, उप वनमण्डल बीनागंज की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

47

उति, श्रीमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी महो.
 - वन परिक्षेत्र राधौगढ.

विषय: वीट पगारा अ-लगात वनकस क्र P678 में ग्राम
 दोशाना के ग्रामीणों को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की
 निरस्तगी/हजल परिवर्तन कावत।


महोदय,

उपरोक्त विषय-लगात निकेडन है कि वीट पगारा के
 वनकस क्र P678 में एक प्रधानमंत्री आवास अतिक्रमण उत्
 कश्रुमि पट बनाया जा रहा है। उक्त आवास ग्राम दोशाना
 निवासी हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा द्वारा बनाया जा
 रहा है जिसकी प्रधानमंत्री आवास योजना अ-लगात स्वीकृती
 पंचायत सचिव दोशाना के माध्यम से जनपद पंचायत राधौ
 गढ से मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त आवास
 ग्राम के आवादी क्षेत्र से इत वनक्षेत्र में बनाया जा रहा है
 एवं संबंधित सचिव द्वारा वीटगार्ड के बिना कोई एल्पापन करा
 उक्त आवास अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है एवं आवासीय योजना
 अ-लगात किल्ल प्राप्त की जा रही है। उक्त आवास का अतिक्रमण
 क्षेत्र में होने के मते उक्त वैधानिक कार्यवाही करके हुए संबंधित
 के विरुद्ध अनकपराय प्रकरण क्र 34/30 दि. 25.09.23 दर्ज किया गया
 है। अतः श्रीमान के निकेडन है कि उक्त आवास का निरगि/अ
 करवाने तथा हजल परिवर्तन वाजल क्षेत्र में कराने की कार्यवाही कर
 चाय के पंचायत सचिव, जनपद पंचायत राधौगढ के उपभोगी, मुख्य
 कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट

इसके बाकि अतिष्ठत में का अतिक्रमण ना होने पावे।

निर्माण स्थल के ज.प.स

① N 24° 28' 51.36"
 E 77° 11' 37.67"



(Signature)
 ज.प.स

महेश कुमार
 वनपरिक्षेत्र
 वीट पगारा

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी राघौगढ़ (गुना)

E-Mail – rotraghogarh@mp.gov.in, Ph. – 07544-263371

क्रमांक / 1429
प्रति,

दिनांक / 10.10.2023

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत राघौगढ़

विषय :- बीट पगारा अन्तर्गत वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर वनकक्ष क्रमांक पी-678 में ग्राम दौराना में मेघराज पुत्र दीपा बंजारा को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास की निरस्तगी/स्थल परिवर्तन बावत्।

संदर्भ :- 01. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1340 दिनांक 29.09.2023
02. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 960 दिनांक 20.07.2022
03. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 22.07.2022

विषयांकित में संदर्भित पत्र 01 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर लेख किया गया था कि बीट पगारा के वनकक्ष क्रमांक पी-678 में ग्राम दौराना में हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा निवासी दौराना या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ है जिसके तहत हितग्राही द्वारा उक्त आवास राजस्व क्षेत्र अथवा उसकी निजी भूमि में न बनाकर वनभूमि कक्ष क्रमांक पी-678 में बनाया जा रहा है। आवास निर्माण का भौगोलिक अक्षांश देशांतर N-24° 28' 51.36", E- 77° 11' 37.67" है। बीटगार्ड पगारा द्वारा उक्त अवैध आवास के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34/30 दिनांक 25.09.2023 कायम किया गया है। बीटगार्ड पगारा द्वारा पी.ओ.आर. पंजीबद्ध करते समय अतिक्रमणकारी हितग्राही मौके पर उपलब्ध नहीं था। उक्त पी.ओ.आर. की परिक्षेत्र सहायक रूठियाई द्वारा विवेचना के दौरान पुनः मौके पर दिनांक 10.10.2023 को जाकर आरोपी अतिक्रमणकारी की पडताल करने पर मौके पर आरोपी तथा अन्य ग्रामीणजन मिले। ग्रामीणों की उपस्थिति में आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मेघराज पुत्र दीपा बंजारा निवासी ग्राम दौराना तहसील राघौगढ़ बताया। परिक्षेत्र सहायक रूठियाई से प्राप्त प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 10.10.2023 की छायाप्रति संलग्न है। अतः संदर्भित पत्र 01 से प्रेषित प्रतिवेदन में अतिक्रमणकारी हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा की जगह मेघराज पुत्र दीपा बंजारा मानकर प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :- प.स.रूठियाई से प्राप्त प्रतिवेदन
मय पंचनामा दिनांक 10.10.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

पृष्ठा. क्रमांक / 1430
प्रतिलिपि :-

दिनांक / 10.10.2023

01. श्रीमान कलेक्टर महोदय, गुना की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. क्रमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
02. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय, वनमण्डल गुना की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. क्रमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न – उपरोक्तानुसार
03. श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, राजस्व राघौगढ़ की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. क्रमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
04. श्रीमान उपवनमण्डल अधिकारी महोदय, उप वनमण्डल बीनागंज की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. क्रमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

उत्ति.

श्रीमान वनपरिसेत्र अधिकारी महोदय
वन परिसेत्र राधागढ़

विषय: POR क्र 34/30 दि 25.9.23 R.C.No 52/2023
में बंरोधन करने वाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विषयवस्तु
POR की जांच हेतु ग्राम दोराबा पहुँचे एवं POR में
दर्ज स्थल पर निर्माण किए जा रहे अथवा नवीन
पर एक 5/0 दीपा बंगला को तलाश किया। जो कि स्थल
पर उक्त नाम का कोई अस्तित्व नहीं किया। अतः पर
मेधराज 5/0 दीपा बंगला मिलने कारण से यह
आवास उल्लेख नाम पर अस्तित्व हुआ और उल्लेख
निर्माण कराया जा रहा है। अतः पूर्व में वीट गार्ड
दर्ज POR अंक क्र 34/30 दि 25.9.23 में चरवाहे को
पूछकर हेमा 5/0 दीपा बंगला दर्ज किया था। उक्त नाम
के स्थान पर POR अंक में मेधराज 5/0 दीपा बंगला
दर्ज करने की रूपा करे। जांच पंचनामा उचित कार्यवाही
हेतु बंरोधन उचित है।



Sanku
उत्ति

दिनांक: पंचनामा दि 10.10.23

एच.पी. वशिष्ठ
प.प. अधिकारी

पंचनामा

एन सीई हस्ताक्षर वि. अ करने वाले पंचनामा
 जरी-2 पंचनामा तैयार करवा रहे है कि आज
 दिनांक 10.10.23 को फापर सचिवाई एचराह से। 5
 पोर क्र 34/30 दि 25.9.23 R.C.No 52/2023 में
 दर्ज वकालत के मौका एकल जांच हेतु आज से मौका
 एकल पट मेधराज शं दीपा खेगाट उषानमंगी कावाट
 कोणा अंगारत काहे जा रही कुटी के पाप मिका 1365
 काय अ-3 ग्रामोण भी मिक 1 मौका एकल पट माया दि
 विक्रिय क्रिय जा रहा कावाट मेधराज शं दीपा खेगाट
 वि. करेना हला वनाय जा रहा है । मौका एकल पट
 वक्त अमित को कागे कोई भी विक्रिय नहीं करने को
 कइ गज 1 काय ही विक्रिय ही जा रही कुटी पर धर
 नहीं सकने को कइ पाया मौका एकल जांच पंचनामा
 एन सीई के वकल क्रिय गज 1 काय पं. कु. अ हस्ताक्षर


क्रिय

वसुध
 एन.जी. वीराय
 प. न. क. वि. म. क.

कु. अ
 (कु. अ. वि. शं दीपा खेगाट)

अ. अ
 अ. अ. अ. अ. अ.

अ. अ
 अ. अ. अ. अ. अ.



वि. अ नारायण शिंदे शं दीपा
 अंगार



वि. अ घाली शं दीपा खेगाट

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....सुन्दर सिंह.....पुत्र श्री.....गंगाीलाल.....
जाति.....ब.पार.....निवासी ग्राम.....प.स. 2133.....तहसील.....रा.दो.ग.ग......जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....रा.दो.ग.ग......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....4797/04.....दिनांक.....18-11-12.....द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड.....3085.....के प्रकोष्ठ क्रमांक.....P-678.....में.....1.000.....हे.वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा.....694.....किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


वनमंडलाधिकारी


सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 2-2-13

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4701

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....रा.दो.ग.ग......की ओर उसके पत्र क्रमांक.....8003.....दि.....17/12/12.....से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.....4797/04.....दि.....18-11-12.....के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....सुन्दर सिंह.....पुत्र श्री.....गंगाीलाल.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस—दो प्रति में)
- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

नोटिस
सुन्दर सिंह
प.स. 2133
रा.दो.ग.ग.
10-12-12

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 2004

गुना, दिनांक 28.11.2023

नोटिस

श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुधी निवासी ग्राम बीरगंज तहसील राधोगंज जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगंज

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दिनांक 03/11/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोगंज के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 1.0000 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322 / X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खड़ी की गई फसल अधिहरण कर ली जावे।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खड़ी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावे।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 30.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2005

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगंज की ओर उनके पत्र क्रमांक दि से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दि 03/11/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुधी बेरगंज को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली आदेश के अंतर्गत राधोगंज तहसील में नदी में नदी में नदी में

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री.....विजय सिंह.....पुत्र श्री.....पुत्री.....
जाति.....ब.भारत.....निवासी ग्राम.....ब.डी. 213/31.....तहसील.....राधोगांव.....जिला गुना म.प्र.
द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधोगांव.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दिनांक 17-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड 3.11.1 के प्रकोष्ठ क्रमांक P-678 में 1.0.0.0 हे. वनभूमी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा 648 किया है/अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।
- (3) वन भूमी पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र. राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक/ 22/12

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4687

प्रतिलिपि

- (1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राधोगांव.....की ओर उसके पत्र क्रमांक.....2803 दि.....17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दि. 17-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....विजय सिंह.....पुत्र श्री.....पुत्री.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस -दो प्रति में)
- (2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/वीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नोटिस के द्वारा प्रस्तावित

विजय सिंह
पुत्री
पुत्री



वनमंडलाधिकारी


सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

वनकक्ष क्रमांक पी-678 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारपत्र धारकों की सूची।

क्र.	वनाधिकारधारी का नाम	जाति	वनाधिकार कोड क्रमांक	रकबा है. मे
01	बलराम/रतनलाल	भील	170601483001	0.226
02	जगन्नाथ/रामसिंह	भील	149921900005	0.429
03	कैलाश/प्रभुलाल	सहरिया	149921900008	0.075
04	मदनलाल/रामसिंह	भील	149921900037	0.1138
05	मोहनसिंह/भवरलाल	भील	149922000001	0.5083
06	चम्पालाल/मोहनलाल	भील	149922000002	0.8981
07	रामबाबू/नाथूसिंह	भील	149922000003	0.4173
08	भरोसा/मोहरसिंह	भील	149922000008	0.876
योग :-				3.5435


महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा


सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई


कै.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्ड बीनागंज

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची

P.001

864

वन मण्डल का नाम :- गुना

आदेश क्र. 30/1984 अधिसूचित निजी भूमि
 अधिसूचित निजी भूमि का विवरण

अ. क्र.	तहसील का नाम	वन परिशिष्ट का नाम	वन खण्ड का नाम	वन व्यवस्थापन प्रकरण क्र. एवं दिनांक	भूमि स्वामी का नाम	उसके वर्तमान वारिस का नाम	भूमि स्वामी की जाति (आदिवासी / हरिजन/ अन्य)	भूमि स्वामी के ग्राम का नाम	अधिसूचित निजी भूमि का विवरण			मुआवजा भुगतान की अद्यतन स्थिति		
									खसरा क्र.	रकबा (हेक्ट.)	वनोपज का विवरण	भूमि	वनोपज	
									पुराना	नया				
1	राधोगढ़	राधोगढ़	डोंगर	-	राजाराम / लालाराम एवं अन्य	शासकीय भूमि			9	10	11	12	13	14
2	राधोगढ़			-	वैजनाथ / पन्ना विहार	शासकीय भूमि		पाड़खेड़ी 5/2 To 5/1/2 To 5/1	855	855	4.246	पडत	नहीं	नहीं
3	राधोगढ़	राधोगढ़	भैंसाना	-	रतनसिंह राजपूत /				118	118	0.805	कृषि	नहीं	नहीं
4			बालामंट	-	नारानसिंह /	शुक्रसिंह पुत्र भगवतसिंह वर्मास				13	13	0.146	कृषि	नहीं
5				-	नारानसिंह /	नरेंद्रसिंह पुत्र मदनसिंह वर्मास			14	14	0.387	कृषि	नहीं	नहीं
6				-	पंथा / देवलात	राजप्रसाद, रामचरण, प्रेमनाथसिंह पुत्र जगन्नाथ पंथा			15/2	15/2	0.920	कृषि	नहीं	नहीं
7				-	जगन्नाथ /	जगन्नाथ पुत्र जगन्नाथ वर्मास			62/75	62/75	0.251	कृषि	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8			-	पुनिया / गोपाल	बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल, बगैरह	अन्य		67/2	67/2	1.799	कृषि	नहीं	नहीं
9	राघोगढ	उत्तर राघोगढ	-	भंवरलाल / मोतीलाल	किशनलाल / मूलचंद	अन्य	करवा राघोगढ	775	775	2.091	कृषि	नहीं	नहीं
10			-	अहमदशाह /	शरीफ अहमद पुत्र अजीज अहमद, शराफत अली पुत्र अजीमुल्ला	अन्य		776	776	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
11			-	अमरा /	शासकीय भूमि		ढाय	21	21	1.464	पडल	नहीं	नहीं
12			-	जालिमसिंह / राम	शासकीय भूमि			22	22	0.753	पडल	नहीं	नहीं
13			-	इमरत / दंगलसिंह	इजरातसिंह, इमरतसिंह, लम्बीबाई पत्नी भानुप्रताप, बादलसिंह, नासयणसिंह पुत्रगण लालसिंह	अन्य	पुरेनी	60	60	0.010	कृषि	नहीं	नहीं
14			-	इमरत / दंगलसिंह	शिमलाबाई बंवा हरनाथसिंह, जगदीश, रणमबाबू, शिवराज पुत्रगण हरनाथसिंह	अन्य		44	44	0.878	कृषि	नहीं	नहीं
15			-	अमरलाल / दीपलाल	प्रमबाई वा. मर लाल, तेजसिंह, सूरतसिंह, दीतत राम, किशन, अली, मंगल, पुत्रगण भंवरलाल	अन्य	खातीवाडा	14	14	0.230	कृषि	नहीं	नहीं
16			-	किशनलाल / मोतीलाल	इन्दरसिंह पुत्र बलदेवसिंह	अन्य	नादनर	3	3	0.837	कृषि	नहीं	नहीं
17			-	सरखती /	कैलाश, रामेश्वर पुत्र जगनाथ	अन्य		6	6	0.857	कृषि	नहीं	नहीं
18			-	हजारी, मिश्री, वालमुकुन्द /	सुगनचंद, ज्ञानोचंद, धनकमर पुत्र मिश्री लाल, सुशीलाबाई, लक्ष्मीबाई, विमलाबाई, पितरबाई पुत्री मिश्रीलाल	अन्य		20	20	0.523	कृषि	नहीं	नहीं
19			-	नारानसिंह / प्यारेलाल	करतरीबाई पत्नी नारायणसिंह, रामरंसा पुत्र नारायणसिंह, कैलाश, रामेश्वर पुत्र जगनाथ	अन्य		25	25	0.690	कृषि	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20			-	घासी लाल, भँवर/भवानी	नाला शासकीय	-		231	231	2.050		नहीं	नहीं
21			-	नरथू/परमा	नन्मूलाल पुत्र नभूआ	हरिजन		22/1	22/1	2.405	कृषि	नहीं	नहीं
22			-	राजभान/	अजय कुमार पुत्र राजमल,	अन्य		110	110	3.974	कृषि	नहीं	नहीं
23			-	शशिराम/नारान	शासकीय नम्बर	-	बन्दरगाढा	28	28	2.091	-	नहीं	नहीं
24			-	बुढा/शिवलाल	आरती पुत्री अमरचंद	आदिवासी	ईसाटोढा	18	18	0.669	कृषि	नहीं	नहीं
25			-	बलमदरसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब दीर्घजयसिंह, जक्ष्मण सिंह पुत्र बलमदरसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलमदरसिंह	अन्य	कुदैया	2	2	32.511	कृषि	नहीं	नहीं
26			-	बलमदरसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब दीर्घजयसिंह, जक्ष्मण सिंह पुत्र बलमदरसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलमदरसिंह	अन्य		8	8	20.140	कृषि	नहीं	नहीं
27			-	बलमदरसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब दीर्घजयसिंह, जक्ष्मण सिंह पुत्र बलमदरसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलमदरसिंह	अन्य		11	11	0.031	कृषि	नहीं	नहीं
28			-	खेमचन्द/पन्नालाल	शासकीय गृहि			16	16	0.314	जंगल	नहीं	नहीं
29			-	बी एस रादर/	शासकीय गृहि			17	17	1.757	जंगल	नहीं	नहीं
30			-	बलमदरसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब दीर्घजयसिंह, जक्ष्मण सिंह पुत्र बलमदरसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलमदरसिंह	अन्य		20	20	0.010	कृषि	नहीं	नहीं
31			-	बलमदरसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब दीर्घजयसिंह, जक्ष्मण सिंह पुत्र बलमदरसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलमदरसिंह	अन्य		22	22	0.209	कृषि	नहीं	नहीं

रजिस्ट्रार
राज्य (पुन)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32				-	बलभद्रसिंह/बहादुर सिंह	राजा साहब देवराजसिंह, जखण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पत्नी बलभद्रसिंह	अन्य		24	24	0.220	कृषि	नहीं	नहीं
33				-	कदीम/	शासकीय भूमि			7	7	5.751	पडत	नहीं	नहीं
34				-	कदीम/	शासकीय भूमि			21	21	0.439	पडत	नहीं	नहीं
35				-	हजारी/मिश्रीलाल	सुगनचंद, ज्ञानोदय, धनकुमार पुत्र मिश्री लाल, सुशीलाबाई, लक्ष्मीबाई, विमलाबाई, विस्तारबाई पत्नी मिश्रीलाल	अन्य	मलियाटोडी	2	2	1.882	कृषि	नहीं	नहीं
36				-	किशोरा/भग्ना	प्रमलान्न पुत्र शंरोलाल	अन्य		81	81	0.471	कृषि	नहीं	नहीं
37				-	नाथूलाल/किशनलाल	इरसाद उद्दीन पुत्र शेख सलेम उद्दीन	अन्य	अनन्दपुर	2	2	0.241	कृषि	नहीं	नहीं
38				-	बी. एस. सदर/	इरसाद उद्दीन पुत्र शेख सलेम उद्दीन	अन्य		3	3	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
39				-	नाथूलाल/	मांगीबाई पत्नी मिश्रीलाल	अन्य		5	5	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
40				-	छुट्टीलाल/ऊँकार	शांतीबाई पत्नी रमेशचंद	अन्य		9	9	0.910	कृषि	नहीं	नहीं
41				-	भागचन्द/देववख्खा	रामप्रसाद पुत्र प्रमूलाल	अन्य		16	16	0.241	कृषि	नहीं	नहीं
42				-	छुट्टीलाल/ऊँकार	शांतीबाई पत्नी रमेशचंद	अन्य		18	18	2.008	कृषि	नहीं	नहीं
43				-	प्रमूलाल/देववख्खा	प्रमूलाल पुत्र देववख्खा	अन्य		21	21	1.046	कृषि	नहीं	नहीं

12. पंचदेव जयसिंह
बनारस (पुषा)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44				-	प्रेमनारायण / गिरधारी	विजयसिंह, अजीतसिंह पुत्र प्रेमनारायण, गायत्रीबाई, कान्हाबाई पत्नीया प्रेमनारायण	अन्य		22	22	1.108	कृषि	नहीं	नहीं
45				-	हजारी / गिरधारी	विजयसिंह, अजीतसिंह पुत्र प्रेमनारायण,	अन्य		23	23	0.418	कृषि	नहीं	नहीं
46				-	नाथूलाल / महोदा	दुर्गलाल पुत्र भुवनेश्वर, ओमप्रकाश रतनसिंह, शिवराजसिंह पुत्राण दुर्गलाल	अन्य		26	26	1.244	कृषि	नहीं	नहीं
47				-	नाथूलाल /	दुर्गलाल पुत्र भवुनिराम	अन्य		28	28	0.920	कृषि	नहीं	नहीं
48				-	हजारी / किसान	दोषति पत्नी रामसिंह,	अन्य		29	29	0.136	कृषि	नहीं	नहीं
49				-	बी. एस. सदर /	दोषति पत्नी रामसिंह	अन्य		30	30	0.565	कृषि	नहीं	नहीं
50				-	हजारी लाल / किसानलाल	दोषति पत्नी रामसिंह,	अन्य		33	33	1.171	कृषि	नहीं	नहीं
51				-	प्रेमनारायण / गिरधारी	रामसिंह पुत्र गोरेलाल	अन्य		35	35	0.774	कृषि	नहीं	नहीं
52				-	किसानलाल / गोपाल	गूलचंद पुत्र खुसीलाल, भमर लाल, माधोलाल पुत्र मांतीलाल	अन्य		36	36	1.903	कृषि	नहीं	नहीं
53				-	प्रभु / देवा	बाबूलाल पुत्र दुलीचंद	अन्य		39	39	0.680	कृषि	नहीं	नहीं
54				-	लक्ष्मी चंद / देवदया	रतन लाल पुत्र गुरीलाल	अन्य		40	40	0.356	कृषि	नहीं	नहीं
55				-	नाथूलाल /	जानकी बाई पत्नी बाबूलाल, ममताबाई पत्नी अशोक गुमार	अन्य		10	10	0.199	कृषि	नहीं	नहीं

13. 10. 2018
का. बा. वि. (पु. 1)

वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर अन्तर्गत वनकक्ष क्रमांक पी-678 में राजस्व विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 04 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी जारी किये गये पट्टों की जानकारी, जिनके संबंध में उक्त पट्टे परीक्षण कर निरस्त किये जाने हेतु कलेक्टर गुना को लेख किया गया है।

क्रमांक	पट्टेदार	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
01	महिला करीमनबाई/बेबा अजमेरी खां	24/2	02.0910
02	प्रीति/पप्पू तथा अन्य 03	24/3/1	0.8360
03	गब्बर सिंह/इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/3/2	1.2540
04	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/4	2.0900
05	हुकमचंद / किशनलाल	24/5	2.0910
06	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/1	2.0900
07	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/2	1.0450
08	मांगीलाल/जीवनलाल	24/7	2.0910
09	कलाबाई/नारायणसिंह	24/8/2	0.8360
10	शंकर/माधो	24/9	2.0900
11	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/11	2.0910
12	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/12	3.1350
13	मनीष लोधा/श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/15	2.0910
14	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/17	2.0900
15	झूमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरैलाल	24/18/1	1.0450
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/18/2	3.1360
17	मानसिंह, दयालसिंह, घमण्डी, कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल, चिरोजीबाई वेवा	24/20	2.0900
18	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार/माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन/कैलाश सुमन, कुलदीप/कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद/हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल/सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ/कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह/मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल/भूरैलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई/पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां /अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महिला करीमनबाई /पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेबा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
29	ऊंकारीबाई/मोतीलाल	20/2	3.136
30	द्रोपतीबाई/रामसिंह	27/1	4.516
वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर के कक्ष क्रमांक पी-678 में जारी राजस्व पट्टों का कुल क्षेत्रफल-			57.402

महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा

सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई

के.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल बीनागांज

कमांक / डी. एम. /
प्रति,

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना
गुना, दिनांक 18/10/2023

9040



कलेक्टर
जिला गुना

ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ में संरक्षित वन खण्ड उत्तर राघौगढ़ के अन्तर्गत वन क्षेत्र में दिये गये पट्टे निरस्त करने बाबत ।
उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज का प्रतिवेदन कमांक / 2023 / 2039 दिनांक 06-10-23

विषयान्तर्गत, ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ के सर्वे कमांक 24 रकबा 602 वीघा 03 विस्वा (125.933 हेक्टर) संरक्षित वन खण्ड राघौगढ़ में शामिल है, उक्त वनखण्ड म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 3085-1720-10-66 दिनांक 18-03-66 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13-12-1968 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित है। (सर्वे डिमार्केसन रिपोर्ट एवं अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है) उक्त भूमि जब वनखण्ड में शामिल की जाकर, धारा 4(1) के तहत अधिसूचित की गई, उस समय उक्त खसरा पूर्णतः शासकीय भूमि (वीड राकड़) के रूप में दर्ज था।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना में समाविष्ट किसी भूमि पर कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज के प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) एवं mpbhulekh.gov.in वेबसाइट के अनुसार उक्त खसरा कमांक के विभिन्न बटॉन किये जाकर निम्ननुसार 28 पट्टे रकबा 49.750 हे. के दिये गये हैं, जो कि वनसीमा के अन्दर होकर, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत हैं।

क्रमांक	भूस्वामी	खसरा बटान कमांक	रकबा हेक्टेयर
01	महिला करीमनबाई/बेबा अजमेरी खां	24/2	02.0910
02	प्रीति/पप्पू तथा अन्य 03	24/3/1	0.8360
03	गब्बर सिंह/इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/3/2	1.2540
04	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/4	2.0900
05	हुकमचंद / किशनलाल	24/5	2.0910
06	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/1	2.0900
07	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/6/2	1.0450
08	मांगीलाल/जीवनलाल	24/7	2.0910
09	कलाबाई/नारायणसिंह	24/8/2	0.8360
10	शंकर/माधो	24/9	2.0900
11	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/11	2.0910
12	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/12	3.1350
13	मनीष लोधा/श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/15	2.0910
14	इरशाउद्दीन/सलीमुद्दीन	24/17	2.0900
15	झूमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरिलाल	24/18/1	1.0450
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/18/2	3.1360
17	मानसिंह, दयालसिंह, घमण्डी, कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल,	24/20	2.0900

	चिरोजीबाई वेवा		
18	इरशाउद्दीन / सलीमुद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार / माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन / कैलाश सुमन, कुलदीप / कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद / हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल / सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ / कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह / मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल / भूरेंलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां / अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महेला करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेवा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
योग :-			49.750

कृपया वन भूमि पर जारी उक्त पट्टों का परीक्षण कराया जाकर, उन्हें निरस्त कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वन मण्डल गुना

गुना, दिनांक 18.10.2023

पृ क्रमांक / डी. एम. / 3041

प्रतिलिपि :- 1. उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज की ओर, आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चित करें ।

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वन मण्डल गुना

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना

क्रमांक/डी.एम./ 10397
प्रति,

गुना, दिनांक 15/12/2023

कलेक्टर
जिला गुना

विषय :- माननीय एनजीटी प्रकरण क्रमांक 163/2023 (सेन्ट्रल जोन) से संबंधित ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ में संरक्षित वन खण्ड उत्तर राघौगढ़ के अन्तर्गत वन क्षेत्र में दिये गये पट्टे निरस्त करने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/डी.एम./ 9040 दिनांक 18-10-23


कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ के सर्वे क्रमांक 24 में स्थित पट्टे वनखण्ड की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात के पाये जाने से उनका परीक्षण कराया जाकर निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है । (सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

विषयांकित संदर्भ में ग्राम दौराना के शेख निजामुद्दीन उर्फ गुड्डू दौराना मण्डल उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा माननीय एनजीटी को प्रेषित शिकायत के क्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन में माननीय एनजीटी के आदेश में उल्लेखित कक्ष क्रमांक पी 678 ग्राम अनंदपुर के निम्नानुसार खसरा क्रमांकों में भी अधिसूचना के उपरान्त पट्टे जारी होना पाया गया है, (वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है) जबकि वनखण्ड की अधिसूचना, जो कि म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3085-1720-10-66 दिनांक 18-03-66 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13-12-1968 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत जारी हुई है, के समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज रही है । भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना में समाविष्ट किसी भूमि पर कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

क्रमांक	भूस्वामी	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
01	ऊंकारीबाई/मोतीलाल	20/2	3.136
02	द्रोपतीबाई/रमसिंह	27/1	4.516

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक/डी.एम. 9040 दिनांक 18-10-23 में उल्लेखित पट्टों के साथ-साथ वन भूमि पर जारी उक्त पट्टों का भी परीक्षण कराया जाकर, उन्हें निरस्त कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

✓ 
15/12/23
वन मण्डलाधिकारी

पृ क्रमांक/डी.एम./ 10398

गुना, दिनांक 15/12/23


प्रतिलिपि :- 1. उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज की ओर, आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चित करें ।

✓ 
15/12/23
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)



मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

29

1. नम्बर रिपोर्ट 34/29 तारीख 24 माह 09 सन् 2023
 2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत भाभा वीरजिया
वेजारा एवं अ-प 04 काशी
 3. किस्म जुर्म मिशाली दोराता
जा 00 का 1927 की धारा
33(1) एवं 31(1) अ
 4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ पीए पजारा रुदन
P-678
 5. तारीख बकुआ जुर्म 24/09/2023
मत 88 07 सी 420
साग 88 05
 6. तफसील जत शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई।
01 चट्टा जलाऊ 2.000 हेक्टर धारा में
 7. नाम गवाहान
① श्री बसिमन्दु फतेहपुर का 0
② मदनवीरजी ठाकुर
- दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब रुडिण्ड सकिंल को भेजा गया
- तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब शंभराम रेंज को भेजा गया
- मुकाम पीए पजारा दस्तखत फारिस्ट मुहं
मा 29/09/23
- तारीख 24/09/23 नाका पजारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 1992

गुना, दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री मेधराज बी. शीमा बेजारा मिर्जापुरा तहसीला बामोरी जिला गुना

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राफेगाव

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड राफेगाव उत्तर के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में

750 वर्ग फुट हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई



वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना
गुना, दिनांक 31.10.2023

पू.कमांक / मा.चि./1993
प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राफेगाव की ओर उनके पत्र कमांक 1431 दि. 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दि. 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेधराज बी. शीमा बेजारा मिर्जापुरा तहसीला बामोरी जिला गुना को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)
2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस में कार्यवाही करी
मेरे द्वारा की गयी
महेश शर्मा
वीएफओ

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 1994

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री पद्म पुत्र श्री मंगीलाल जाति वेण्डरा
निवासी ग्राम कोबाग तहसील राधोगा जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगा

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोगा के प्रकोष्ठ क्रमांक P.678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322 / X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

- Del -

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1995

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगा की ओर उनके पत्र क्रमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री पद्म पुत्र श्री मंगीलाल वेण्डरा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज का ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्रमाणित
मेरे द्वारा ही अर्थ

मेरे द्वारा ही अर्थ

नोटिस प्रमाणित
20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक / मा.चि. / 1998

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री श्यामा पुत्र श्री जिया जाति वेजारा
निवासी ग्राम दौडाया तहसील राधोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राधोगढ़ के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



sd
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना
गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.कमांक / मा.चि. / 1998

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधोगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री श्यामा वेजारा पुत्र श्री जिया वेजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनापंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस के कार्यालय प्रति के द्वारा की गयी
महेश शर्मा गुना
वीट पंजाब

नोटिस की प्रतिलिपि
श्री
20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 1998

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री मेधराज पुत्र श्री जिजा जाति बंजारा
निवासी ग्राम देराना तहसील रायगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर रायगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P.67.8 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

dd
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

गुना, दिनांक / 9.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1999

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेधराज बंजारा पुत्र श्री जिजा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्रस्तुत करने के लिए
शरा की गठ

जयशंकर शर्मा
नी.पंजारा

66

नोटिस
शरा की गठ
20/11/23

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 2000

गुना, दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री कजोड़ पुत्र श्री बन्नी बंजारा जाति बंजारा
निवासी ग्राम फर्रुखा तहसील राधेगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राधेगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड 32/राधेगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने / बनाये रखने हेतु क्यों न :-

- (1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।
- (2) वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।
- (3) वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

996
क्र.मांक/2023
मा.चि./ 2001
प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना
गुना, दिनांक / 9.11.2023

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राधेगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक दिनांक से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि. 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री कजोड़ बंजारा पुत्र श्री बन्नी बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रमण द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी / बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

नेकलनी नोटिस प्रजापति आपराध शक्ति के
शासकीय

महेश अमराम
20/11/23

नोटिस 02/11/23
प्रजापति
20/11/23



भारतीय जनता पार्टी मण्डल राधौगढ जिला गुना (म०प्र०)



शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष
भाजपा

निवास- ग्राम व पोस्ट दौराना
तह० राधौगढ जिला गुना (म०प्र०)
मो० 8770577454

प्रति

Date, PRF
15-12-2023

माननीय 21 उद्योग एरिन अधिकारण
केन्द्र मंगल Baramh Bhopal (M.R)

विषय :- दिनांक 3-10-2023 का आवक के द्वारा कि गई शिकायत
के सम्बन्ध में।

दीना में विमल निवेदन है कि मैं द्वारा 3-10-2023 का
NGT Bhopal का शिकायत कि गई थी। निम्न
21 योग 2 पर का, लेखक में एक एवं प्रमुख नियंत्रण
के अधिकारी का का में पर निरीक्षण कि का
जिसमें PMAY के कुटीर देखा गई। पूरा निरीक्षण
कि का गया। निम्न 2 कुटीर पाई गई। पुराने कुटीर
पूरा पर में में काटे जाते। संयुक्त जांच द्वारा
14-12-2023 को जा जांच कि गई है। मैं संतुष्ट हूँ।
परत Commencement No. 678 में अतिरिक्त एकाकर
पेड़ लगाकर खाली लगाई जाते एवं अतिरिक्त के समय
जो अधिकारी नियुक्त है एवं अतिरिक्त काओं के
द्वारा उचित कार्यवाही करने कि सुझाव करे। निम्न

प्रति मंगल: प्रमुख निवेदन।

PRF
15-12-23

शेख निजामउददीन




अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण किया गया है।



ग्राम-दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम-आंदपुर (मोईया) में ग्राम-दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन पर कच्चे मकान बनाये गये।



अवैध रूप से वनक्षेत्र में जमीन पर खेती एवं खोदा गया कुंआ।



वन कक्ष क्रमांक पी 678 का नक्शा।